

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता / 3267  
दिनांक : 15/11/2011

सचिव,

कालका इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज,  
परतापुर बाईपास रोड, मेरठ

महोदय,

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-609 / सत्तर-2-2010-2 (488) / 2009, दिनांक 23.07.2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन कालका इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ को बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम (120 सीट) में स्ववित पोषित योजना के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2009-10 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01.07.2010 से शैक्षिक सत्र 2010-11 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

- घोषित परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने की स्थिति में सत्र 2010-2011 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थायी) की पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01.07.2010 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता (स्थायी) आदेश निर्गत किये जायेंगे तथा एतदविषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- संस्था शासनादेश संख्या-2851 / सत्तर-2-2003-16(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार कालका इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ को बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम (120 सीट) स्ववित पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन परीक्षाफल उपलब्ध कराये जाने के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार सत्र 2010-2011 (दिनांक 01.07.2010) से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

मकानीय,

21/11/2011

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

- सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
- प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवर्साईट पर डालने का कष्ट करें।
- गार्ड फाइल हेतु।

४८

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव



पत्रांक : सम्बद्धता/116  
दिनांक : १३.५.२०११

सचिव

कालका इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एण्ड इडवांस स्टडीज,  
परतापुर बाईपास रोड, मेरठ

महोदय,

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-1217/सत्तर-2-2010-2(287)/2009, दिनांक 30.07.2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुके के अधीन कालका इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एण्ड इडवांस स्टडीज, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ को बी०बी०ए० पाठ्यक्रम (60 सीट) में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2010 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

- संस्था शासनार्देश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनार्देशों का पालन करेगी।
- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरुत्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार कालका इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एण्ड इडवांस स्टडीज, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ को बी०बी०ए० पाठ्यक्रम (60 सीट) में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2010 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव  
०२ जून २०११

प्रतिलिपि :-

- सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
- प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैक्साईट पर डालने का कष्ट कर।
- गाड़ी फाइल हेतु।

DIRECTOR  
KALKA ENGINEERING COLLEGE  
BY-PASS ROAD, PARTAPUR, MEERUT

कुलसचिव

Director

Kalka Institute for Research  
& Advanced Studies, Meerut.